प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत मे इस डपीट के समक्ष पेश।

> राज्य द्वारा एडीपीओ उप०। आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री सतीशचंद्र मिश्रा

फरियादी श्रीमती शिमला उप0। प्रकरण राजीनामा आवेदन पर आदेश हेतु नियत

है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि प्रकरण में आरोपीगण गिरीश, बालकृष्ण, एवं श्रीमती जनुकाबाई के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हैं। राजीनामा पूर्व में तस्दीक किया जा चुका है। फरियादी ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा लोकहित में है अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तृत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर आरोपीगण गिरीश, बालकृष्ण, एवं श्रीमती जनुकाबाई को भा0द0सं0 की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

> प्रकरण मे जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार

भेजा जावे। खण्डपीठ सदस्य. कृ.1-

耍.2-

ान अधिकारी अण्डपीठ क021 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 (प्रतिष्ठा अवस्थी)